रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 581] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 1998/भाद्र 17, 1920
No. 581] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 1998/BHADRA 17, 1920

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1998

का. आ. 788(अ).—जीव-जन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 5क की उप-धारा (1) के साथ पठित उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों के नामों को अधिसूचित करती है और उस प्रयोजन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 495(अ) दिनांक 9 जून, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उपरोक्त अधिसूचना में क्रमांक संख्या (19) के बाद व उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित क्रमांक संख्याएं व प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी :—

"(21)	डॉ. एस. अब्दुल रहमान, महासचिव भारतीय पशु चिकित्सा संस्था, IV-ए, 123, 7वीं, बी, मेन रोड, IV-ब्लॉक (पश्चिम), जय नगर, बंगलौर-560001	धारा 5(1)(ग) के तहत सदस्य
(21)	श्रीमती चन्द्रेश कुमारी, संसद सदस्य (राज्य सभा) 8, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली- 110001	धारा 5(1)(झ) के तहत सदस्य
(22)	श्री कनक मल कटारा, संसद सदस्य (राज्य सभा) 60, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001	धारा 5(1)(झ) के तहत सदस्य"

[मि. सं. 1-15/97-ए, डब्ल्यू]

सर्वेश्वर झा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन की अधिसूचना भारत के राजपत्र में 9 जून, 1998 की सं. का. आ. 495(अ) के अधीन प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 1998

S. O. 788 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) read with sub-section (1) of section 5A of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby notifies the names of the following persons as the members on the Animal Welfare Board of India and for that purpose makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, Number S. O. 495 (E) dated, the 9th June, 1998, namely :—

In the said notification, after serial number (19) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

"(20)	Dr. S. Abdul Rahman, Secretary General Indian Veterinary Association, IV A, 123, 7th 'B' Main Road, IV Block (West), Jayanagar, Bangalore-560001.	Member under section 5(1)(c).
(21)	Shrimati Chandresh Kumari, Member of Parliament (Rajya Sabha) 8, Ferozshah Road, New Delhi-110001.	Member under section 5(1)(i).
(22)	Shri Kanak Mal Katara, Member of Parliament (Rajya Sabha) 60, North Avenue, New Delhi-110001.	Member under section 5(1)(i)."

[F. No. 1-15/97-AW]

SARWESHWAR JHA, Jt. Secy.

Note :—The Notification reconstituting the Animal Welfare Board of India was published in the Gazette of India (Extraordinary) vide number S. O. 495 (E), dated the 9th June, 1998.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.